

सरकार जरिये अवधेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री हर्षित खण्डेलवाल पुत्र श्री राममनोहर गुप्ता (विक्रेता)
मैसर्स राम मनोहर किराना स्टोर, बिहारी जी मंदिर के सामने
मैन मार्केट तूंगा बस्सी, जिला जयपुर।
2. राम मनोहर गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता (मालिक)
मैसर्स राम मनोहर किराना स्टोर, बिहारी जी मंदिर के सामने
मैन मार्केट तूंगा बस्सी, जिला जयपुर।



... अप्रार्थी-अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक: 08/05/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.05.2025 को सांयकाल 5.45 पी.एम. मैसर्स राममनोहर किराना स्टोर बिहारी जी के मंदिर के सामने मैन मार्केट तूंगा बस्सी पर पहुंचा। वहां पर श्री हर्षित खण्डेलवाल उपस्थित थे। श्री हर्षित खण्डेलवाल को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया तथा पूछने पर श्री हर्षित खण्डेलवाल ने स्वयं को मैसर्स राममनोहर किराना स्टोर का विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हर्षित खण्डेलवाल से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र, फर्म मालिक के आधार कार्ड की छायाप्रति मौके पर ही प्रस्तुत की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स राममनोहर किराना स्टोर का निरीक्षण करने घी (सरस ब्रांड) 500 एमएल के कुल 5 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर नमूना जांच हेतु 4 सील्ड पैकेट घी (सरस ब्रांड) 4 नमूना भाग खरीदकर उसकी कीमत 1040/- रुपये विक्रेता श्री हर्षित खण्डेलवाल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री लेखराज शर्मा एवं श्री नंदकिशोर कुमावत के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 एक की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (सरस ब्रांड) को एकरूप कर चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जार विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

खरीदशुदा घी (सरस ब्रांड)को प्रत्येक जार में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक जार पर लेबल लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-4089 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करार्ये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-4089 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक 523 दिनांक 27.05.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस /1868/एक्ट/2024/1819 दिनांक 20.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (सरस ब्रांड) सबस्टैण्डर्ड एवं Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/251 दिनांक 21.02.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टैण्डर्ड एवं Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) घी (सरस ब्रांड)का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थीगण ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण (अभियुक्तगण) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये।



अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर

अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी (सरस ब्रांड) **Contravenes Regulation No. 2.3.7(2)** का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 51, 58 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।



अप्रार्थी ने कथन किया अप्रार्थी ने अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है, जांच रिपोर्ट सही नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 में प्रथम बार खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड/सबस्टैण्डर्ड आने पर आने पर शास्ति माफ करने का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा उत्पादो में गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। अप्रार्थी छोटे स्तर पर दुकान चलाता है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड एवं **Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) & Due to presence of foreign fat** खाद्य पदार्थ घी (सरस ब्रांड) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी-अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रु 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रुपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी-अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम जयपुर